30/04/2022

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांकः 29 अप्रैल 2022

पत्रांक-676 /बा0वि0परि0/पी0एल0आई0/2020-21

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-पात्र ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं ऑगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि (पी0एल0आई0) प्रदान किये जाने हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर फीडिंग करने के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-सी-734/बा0वि0परि0/पी0एल0आई0/2020-21 दिनॉक 15.12.2021, पत्र संख्या-सी-686/बा0वि0परि0/पी0एल0आई0/2020-21 दिनॉक 03.12.2021, पत्र संख्या-सी-638/बा0वि0परि0/पी0एल0आई0/2020-21 दिनॉक 12.11.2021, पत्र संख्या-सी-608/बा0वि0परि0/पी0एफ0 एम0एस0/2021-22 दिनॉक 21.10.2021 एवं पत्र संख्या-505/बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस00/2021-22 दिनॉक 21.09.2021 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा शासनादेश दिनॉक 14.09.2021 में वर्णित मानकों एवं मापदण्डों को पूर्ण करने वाली पात्र ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं ऑगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के साथ प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर फीडिंग कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अवलोकन करने पर पाया गया कि ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं ऑगनबाड़ी सहायिकाओं की पी0एल0आई0 की बहुत कम फीडिंग की जा रही है और 24 जनपदों द्वारा 01.09.2021 से अद्यावधिक पी0एल0आई0 की फीडिंग ही नहीं की गयी है। (संलग्न जनपदवार दिनॉक 27.04.2022 तक फीडिंग की स्थिति) जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा पात्र कार्यकत्री व सहायिकाओं के पी0एल0आई0 के भुगतान में रूचि नहीं ली जा रही है और जिस कारण से पात्र कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि शासन की यह महत्वपूर्ण योजना है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी कई बार निर्देश दिये जा चुके है किन्तु इस सम्बन्ध में आपके द्वारा रूचि न लिये जाने के कारण फीडिंग की प्रगति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनॉक 14.09.2021 में वर्णित मानकों एवं मापदण्डों को पूर्ण करने वाली पात्र ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं ऑगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर फीडिंग प्रत्येक दशा मे दिनॉक 10.05.2022 तक पूर्ण कराये।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने जनपद में समस्त पी0एल0आई0 हेतु पात्र कार्यकत्री व सहायिकाओं की फीडिंग पूर्ण हो गयी है और कोई पात्र कार्मिक वंचित नहीं है, यह सुनिश्चित करेगें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अपना वेतन आहरित करेगें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि अपने स्तर से समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को आदेशित करने का कष्ट करे।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

Scanned by TapScanner